न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 17/2017

1 मयंक पुत्र ताराचन्द आयु 13 साल जाति कुम्हार निवासी खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये सरंक्षक माता विधा देवी पत्नी ताराचन्द
2 गुलशन पुत्र झाबर आयु 13 साल जाति कुम्हार निवासी खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये सरंक्षक माता रामेश्वरी पत्नी झाबरमल
3 पीयूष पुत्र झाबरमल आयु 10 साल जाति कुम्हार निवासी खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये सरंक्षक माता रामेश्वरी पत्नी झाबरमल
4 अविनाश पुत्र विजयकुमार आयु 11 साल जाति कुम्हार निवासी खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये सरंक्षक माता अंजू देवी पत्नी विजय कुमार
5 इशा पुत्री विजय कुमार उम्र 8 साल जाति कुम्हार निवासी खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये सरंक्षक माता अंजू देवी पत्नी विजयकुमार
6 मोहित पुत्र धन्नाराम उम्र 8 साल जाति कुम्हार निवासी खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये सरंक्षक माता अर्चना पत्नी धन्नाराम
7 प्रिया पुत्री धन्नाराम उम्र 4 साल जाति कुम्हार निवासी खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये सरंक्षक माता अर्चना पत्नी धन्नाराम
8 यश पुत्र महावीर आयु 4 साल जाति कुम्हार निवासी खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये सरंक्षक माता सुनिज पत्नी महावीर
9 तानिया पुत्री राजेश आयु 1 साल जाति कुम्हार निवासी खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये सरंक्षक माता सुमन जाति राजेश
निवासीगण खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 गुलाबचन्द पुत्र बालूराम
2 सत्यानारायण पुत्र बालूराम
3 ताराचन्द पुत्र बालूराम
समस्त जाति कुम्हार निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।
4 चिरंजीलाल पुत्र गुलाब जाति कुम्हार निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं । दौराने अपील मृतक

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी, एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4/1 सुमन देवी पत्नी स्व. चिरंजीलाल
4/2 आदर्श कुमावत पुत्र स्व. चिरंजीलाल
4/3 आकांक्षा पुत्री स्व. चिरंजीलाल
समस्त जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।
5 झाबरमल पुत्र गुलाब
समस्त जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।
6 मंजू पुत्री गुलाबचन्द पत्नी कैलाशचन्द निवासी कुम्हार निवासी कुम्हारों का बास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
7 नेमीचन्द पुत्र गुलाब जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।
8 कंचन पुत्री नेमीचन्द उम्र 15 साल
9 दिव्या पुत्री नेमीचन्द उम्र 11 साल
10 धीरज पुत्र नेमीचन्द उम्र 7 साल
समस्त जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये सरंक्षक माता अनिता पत्नी नेमीचन्द जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।
11 बाबुलाल पुत्र गुलाबचन्द जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।
12 मनीषा पुत्री बाबुलाल उम्र 12 साल
13 प्रियंका पुत्री बाबूलाल उम्र 10 साल
14 अंकित पुत्र बाबुलाल उम्र 2 साल
समस्त जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये सरंक्षक माता सुमन पत्नी बाबुलाल जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।
15 श्रीराम पुत्र गुलाब जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।
16 सृष्टी पुत्री श्रीराम आयु 7 साल
17 हर्ष पुत्र श्रीराम आयु 3 साल
समस्त जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये सरंक्षक माता प्रेम देवी पत्नी श्रीराम जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।
18 विजय कुमार पुत्र सत्यनारायण
19 धन्नाराम पुत्र सत्यनारायण

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

20 महाबीर पुत्र सत्यनारायण
21 राजेश पुत्र सत्यनारायण
समस्त जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।
22 मीना देवी पुत्री सत्यनारायण पत्नी मुकेश मोरवाल निवासी पशु चिकित्सालय के पास झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
23 अशोक पुत्र सत्यनारायण जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।
24 ममता पुत्री ताराचन्द पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामपुर वाया बानसुर जिला अलवर राज.।
25 मुन्नी देवी पुत्री सत्यनारायण पत्नी नेमीचन्द धुनारिया जाति कुम्हार निवासी हर्ष जिला सीकर राज.।
26 सुलेखा पुत्री ताराचन्द जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।
27 श्वेता पुत्री ताराचन्द जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।
28 गज सिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी जयपुर जिला जयपुर राज.।
29 मोहबता पुत्र भूराराम
30 नाथूराम उर्फ नथमल पुत्र मूलचन्द जाति कुम्हार निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृतक
30/1 परमेश्वरी देवी पत्नी
30/2 दिनेश पुत्र
30/3 राहुल पुत्र
स्व. नाथूराम उर्फ नथमल समस्त जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।
30/4 मणी देवी पत्नी कैलाश पुत्री नाथूराम उर्फ नथमल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 17 चेजारों को मोहल्ला सीकर तहसील व जिला सीकर।
30/5 सुमन पत्नी रामनिवास पुत्री नाथूराम उर्फ नथमल जाति कुम्हार निवासी आशा बन्ना की ढाणी तहसील सतनाली जिला लुहारू हरियाणा।
30/6 चुकी देवी पत्नी राजेश पुत्री नाथूराम उर्फ नथमल जाति कुम्हार निवासी आशा बन्ना की ढाणी तहसील सतनाली जिला लुहारू हरियाणा।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

30/7 सरोज पत्नी किशोरीलाल पुत्री नाथूराम उर्फ नथमल जाति कुम्हार निवासी सांवली रोड़ पण्डितों की कोठी वार्ड नं. 37 सीकर, तहसील व जिला सीकर राज.।

31 सेडूराम पुत्र मुलचन्द जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।

32 भोलाराम पुत्र द्वारका प्रसाद जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं । दौराने अपील मृतक

32/1 भागली देवी पुत्री भोला

32/2 छोटी देवी पुत्री भोला

समस्त जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।

33 रमेश पुत्र द्वारका प्रसाद जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।

33/1 संतो ा देवी आयु 45 साल पत्नी रमेश कुमार

33/2 रेखा उम्र 22 साल पुत्री रमेश कुमार

33/3 जितेन्द्र उम्र 18 साल पुत्र रमेश कुमार

समस्त जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड नम्बर 12 नीमकाथाना रोड़ खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

33/4 लीलाधर उम्र 16 साल पुत्र श्री रमेश कुमार जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 12 नीमकाथाना रोड़ खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज. ।

34 छोटी पत्नी भाताराम

35 रणजीत पुत्र भाताराम

36 मुन्नीदेवी पुत्री गुलाराम

37 मनी ा पुत्री गुलाराम

38 संजू पुत्री गुलाराम

समस्त जाति कुमावत निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।

39 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भूप्रबन्ध झुंझुनूं सीकर

प्रथम अपील अ. धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी दावा उनवानी मयंक वगै.
बनाम गुलाबचंद वगै. दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
दावा संख्या 82/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2017

उपस्थिति :

1. श्री अनिल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 24/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 82/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1545/2, 1601/2, 1890/3, 1596, 1597, 1598, 1599, 1609, 1610, 1613, 1614 जिनके नये खसरा नम्बर 2945, 2948, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3339, 3325, 3439/3339 वाके खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यस्थित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री जैर बहस बिना किसी आधार के पारित हुआ है। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य व प्लीडिंग को नजरअंदाज किया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई है। विचारण

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया। प्रकरण जवाब व तलबी में विचाराधीन था और नियत पेशी से पूर्व ही पेशी में कांट छांट कर वकुलाये फरीकेन की उपस्थिति दर्शाकर बहस सुनी जाना दर्ज कर दिनांक 11.01.2017 को निर्णय पारित कर अपीलान्टस के दावा को खारिज कर दिया जो कि एक अवैधानिकता है। प्रकरण में दिनांक 15.12.2016 की पेशी नियम थी। दिनांक 15.12.2016 को अपीलान्टस को आगामी पेशी 11.01.2017 बताई गई। दिनांक 11.01.2017 को अपीलान्टस के अधिवक्ता को अदालत मातहत ने निर्णय व डिकी जैर बहस बाबत बताया। तारीख पेशी में कांट छांट आदेशिका से स्पष्ट है इस प्रकार विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया का दुरूपयोग किया है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग है। विवाद बिन्दु कायम कर साक्ष्य लेने के बाद वाद विषय वस्तु का निर्धारण किया जाना चाहिये था ऐसा न कर तथ्य व विधि की भूल की गई है। धारा 90 बी राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते। विचारण न्यायालय को प्लींडिग के आधार पर निर्णय करना चाहिये थे। विवादित तमाम जमीन पर धारा 90 बी की कार्यवाही भी नहीं थी इसके बावजूद भी सम्पूर्ण दावा खारिज कर कानून गलती की गई है। अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 11.01.2017 अपास्त की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावें कि विचारण न्यायालय तनकीयात कायम कर साक्ष्य एकत्रित कर मैरिट पर निर्णय पारित करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किये गये परिपत्र के अनुसार वाद पत्र एडमिट करने से पूर्व जांच बिन्दु सूची के बिन्दु संख्या 16 में यह अभिव्यक्त किया गया है कि वाद में वर्णित भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के अन्तर्गत संपरिवर्तन किया गया है या नहीं ? इस जांच बिन्दु पर गौ करने एवं वाद पत्र पर प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2069–72 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 2945 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 2948 रकबा 4.47 है. किता 2 कुल रकबा 4.72 है. भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 652 दिनांक 14.07.2014 को नगरपालिका, खेतड़ी के नाम दर्ज रिकार्ड हो चुकी है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

इससे साबित होता है कि प्रश्नगत भूमि की किस्म कृषि भूमि न रहकर अकृषि के रूप में संपरिवर्तन होकर स्थानीय निकाय के नाम किस्म कृषि भूमि न रहकर अकृषि के रूप में संपरिवर्तन होकर स्थानीय निकाय के नाम दर्ज हो चुकी है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया वाद वादीगण आधारहीन होने एवं इस न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1545/2, 1601/2, 1890/3, 1596, 1597, 1598, 1599, 1609, 1610, 1613, 1614 जिनके नये खसरा नम्बर 2945, 2948, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3339, 3325, 3439/3339 वाके खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी इस आधार पर खारिज किया है कि विवादित भूमियों में से खसरा नम्बर 2945, 2948 की भूमि जरिये नामांतकरण संख्या 652 दिनांक 14.07.2014 से अकृषि के रूप में संपरिवर्तित होकर स्थानीय निकाय नगर पालिका खेतड़ी के नाम दर्ज हो चुकी है। अतः क्षेत्राधिकार के आधार पर वाद वादी खारिज किया गया है।

प्रथम तो विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा विरासत के आधार पर वाद घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1545/2, 1601/2, 1890/3, 1596, 1597, 1598, 1599, 1609, 1610, 1613, 1614 जिनके नये खसरा नम्बर 2945, 2948, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3339, 3325, 3439/3339 वाके खेतड़ी प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय इनमें से केवल दो नम्बर 2945, 2948 संपरिवर्तित हो जाने से वादीगण के पैतृक अधिकारों पर प्रथम दृष्टया विपरित असर होना नहीं माना जा सकता है एवं सम्पूर्ण भूमि संपरिवर्तित नहीं होने से इस आधार

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय भी विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर